मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता बरकरार

टाइम्स ऑफ इंडिया (30 Nov.)

संदर्भ

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की।
- तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे। जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रहेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।
- छन्नू लाल वर्मा को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे।

क्या कहा न्यायमूर्ति ने

- न्यायमूर्ति जोसेफ ने फैसले की घोषणा करते हुए मृत्युदंड लागू किए जाने के संबंध में अपना विचार पढ़ा।
- न्यायमूर्ति जोसेफ ने विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि वह समय आ गया है जहां हम सजा के तौर पर मृत्युदंड की आवश्यकता, खासकर इसके उद्देश्य और अमल पर विचार करें।
- न्यायमूर्ति जोसेफ ने पीठ की ओर से फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष हर मृत्युदंड का मामला मानव जीवन से संबंधित है जिसे कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं।
- यदि जीवन लिया जाना है, तो सख्त प्रक्रिया तथा उच्चतम संवैधानिक मानकों का पालन करना होगा। न्यायाधीश के रूप में हमारा विवेक, जो संवैधानिक सिद्धांतों से निर्देशित है, उससे कुछ भी कम की अनुमति नहीं दे सकता।

भारत में मौत की सजा

- भारत में मौत की सजा कुछ गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1995 के बाद 5 घटनाओं में मौत की सजा दी है। जबकि वर्ष 1991 से अब तक इसकी कुल संख्या 26 है।
- मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से मौत की सजा देने को गैरकानूनी माना है।

- भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है; अधिकारिक सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है।
- यद्यपि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल वर्ष 1953 से वर्ष 1963 के दशक में ही यह संख्या 1422 है।
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से अब तक निचली अदालतों द्वारा कुल 1617 कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार वर्ष 1947 से अब तक भारत में कुल 755 लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है।
- दिसम्बर 2007 में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था।
- नवम्बर, 2012 में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा।

विश्वभर में मुफ्त वाईफाई सेवा

टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैण्डर्ड (30 Nov.)

संदर्भ

- हाल ही में चीन की एक प्राइवेट कंपनी ने घोषणा की है कि वह पूरी दुनिया में मुफ्त वाईफाई देने के लिए 272 सैटेलाइट लॉन्च करेगी।
- यह सैटेलाइट अपनी क्षमता से विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को इंटरनेट का लाभ उठाने में सक्षम बना सकेंगे।
- चीनी कंपनी लिंकश्योर ने बताया कि इस सैटेलाइट को अगले साल चीन के जिऊक्वॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और 2020 तक अंतरिक्ष में इस तरह की 10 सैटेलाइट पहुंचाई जाएंगी।
- वहीं कंपनी का लक्ष्य 2026 तक ऐसी 272 सैटेलाइट पहुंचाने का है।

क्या लाभ होगा?

- विश्व में ऐसे कई स्थान है, दुर्गम स्थल हैं जहां टेलीकॉम नेटवर्क लगाना नामुमकिन है। इस कारण वहां रहने वाले लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं।
- इस सैटेलाइट के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद लोग इन स्थानों से भी अपने मोबाइल फोन की मदद से फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां टेलीकॉम नेटवर्क की पहुंच नहीं है।

क्या है योजना?

- लिंकश्योर की सीईओ वांग जिंग्याइंग ने मीडिया को बताया कि उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर 3 बिलियन युआन (करीब 30 अरब रुपए) का निवेश करने की तैयारी कर रही है।
- इस दिशा में पहला सैटेलाइट की मदद से फ्री इंटरनेट एक्सेस देने के लिए गूगल, स्पेस एक्स, वन वेब और टेलीसैट जैसी कई कंपनियां तैयारी कर रहीं हैं।
- चीन के पश्चिमोत्तर में स्थित गांसू प्रांत में स्थित जियुकान सैटेलाइट लांच सेंटर से अगले साल लांच किया जाएगा और 2020 तक अंतरिक्ष में ऐसे 10 उपग्रह भेजे जाने की योजना बनाई गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 3.9 अरब लोग 2017 के अंत तक भी इंटरनेट की पहुंच से दूर थे।
- बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अनुमान लगाया है कि 2045 तक दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री का मार्केट 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (30 Nov.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंडी में हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) की शुरूआत की।
- ईआरएसएस के अंतर्गत अखिल भारतीय एकल आपात नंबर '112' की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है।
- इस एक नम्बर (112) पर फोन कर राज्य के लोग पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से संपर्क कर सकेंगे।
- इस सेवा का लाभ लेने के लिए राज्य के लोगों को गूगल और एप्पल के स्टोर पर '112 इंडिया' एप डाउनलोड करनी पड़ेगी।

क्या है?

- यह एकल आपात नंबर '112' आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का हिस्सा हैं।
- इस सेवा में '112 इंडिया' मोबाइल ऐप भी शामिल किया गया है जिसे स्मार्ट फोन के पेनिक बटन और तत्काल सहायता प्राप्त

करने में नागरिकों की सुविधा के लिए ईआरएसएस राज्य वेबसाइट से जोड़ा गया है।

- आपात प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए आपात प्रतिक्रिया केन्द्र (ईआरसी) को दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं द्वारा लोकेशन आधारित सेवाओं से जोड़ा गया है।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए '112 इंडिया' में एक एसएचओयूटी फीचर की शुरूआत की गई है ताकि आपात प्रतिक्रिया केन्द्र से मिलने वाली तत्काल सहायता के अलावा आसपास पंजीकृत स्वयंसेवियों से तत्काल सहायता मिल सके।
- एसएचओयूटी फीचर विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
- एकीकृत आपात सेवाओं तक पहुंच के लिए देशभर में लोगों की मदद के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में '112 इंडिया' मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा।

बजट

- केन्द्र सरकार ने देशभर में ईआरएसएस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्भय कोष के अंतर्गत 321.69 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 4.71 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी है।
- केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक बटालियन की मंजूरी दी और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 4 करोड़ 20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी है।

लाभ

- इससे देशभर में चौबीस घण्टे प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए केवल एक आपातकालीन नम्बर की सुविधा प्राप्त होगी।
- इससे आपदा अथवा आपत्ति में नागरिकों की सेवा के लिए वायस कॉल, एसएमएस, ई-मेल, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि में पैनिक बटन जैसी विभिन्न वायस एवं डाटा सेवाओं से इनपुट प्राप्त किया जा सकेगा।
- इस प्रणाली को वायस अथवा डाटा से जोड़ कर विपत्ति में व्यक्ति के स्थल की पहचान करेगी तथा मुसीबत में व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करेगी।

संयुक्त अभ्यास 'कोंकण 2018'

बिजनेस स्टैण्डर्ड, पायनियर (30 Nov.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और समुद्री इलाके में सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास आईएन-आरएन कोंकण 2018 गोवा में शुरू किया गया है।

- इसमें दोनों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के साथ एक सप्ताह से भी अधिक समय तक रण कौशल के विभिन्न गुर तथा अनुभव साझा करेंगे।
- कोंकण युद्धाभ्यास श्रृंखला की शुरूआत वर्ष 2004 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य रण कौशल की बारिकीयों तथा अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु

- इस अभ्यास के दौरान बीच सागर में किसी संदिग्ध पोत का औचक निरीक्षण किया जाता है।
- इस बार हवा और जमीन से किये जाने वाले हमलों से निपटने तथा पनडुब्बी रोधी प्रणालियों का अभ्यास विशेष रूप से किया जायेगा।
- कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके।

उद्देश्य

- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों से आपसी लाभ प्राप्त करना है और यह दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रखने का संकेत है।
- पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के युद्धाभ्यासों के परिणामस्वरूप हासिल पारस्परिकता दोनों नौसेनाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।
- नौसैनिक सहयोग रणनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में एक सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनों सैनिकों की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रतीक है।

रॉयल नेवी का प्रतिनिधित्व

- रॉयल नेवी का प्रतिनिधित्व एचएमएस ड्रेगन, टाइप 45 क्लास विध्वंसक पोत करेगा, जो वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर से लैस है।
- भारतीय नौसेना आईएनएस कोलकाता को उतारेगी, यह पहला नवीनतम कोलकाता क्लास विध्वंसक पोत है, जिसमें सीकिंग और एक आईएन पनडुब्बी लगी है।

- साथ ही आईएन समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर भी युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
- पिछले कुछ वर्षों में आईएन-आरएन युद्धाभ्यास के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के संबंध में पेशेवर संतुष्टि बढ़ी है।

मुख्य विषय

- इस वर्ष के युद्धाभ्यास का मुख्य विषय वायु भेदी जंग, जमीन रोधी जंग, पनडुब्बी रोधी जंग, समुद्र में कार्रवाई और युद्ध कौशल (विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर) जहाज को चलाने की कला का क्रमिक विकास है।
- समुद्र में युद्धाभ्यास के अलावा कोंकण-2018 में पेशेवर परस्पर क्रियाओं और क्रीडा प्रतियोगिताओं को भी सम्मिलित किया गया है।

रेलवे का 'ई-दृष्टि' सॉफ्टवेयर

बिजनेस स्टैण्डर्ड (30 Nov.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ई-दृष्टि सॉफ्टवेयर लांच किया हैं।
- इस सॉफ्टवेयर की सहायता से रेलों की समयनिष्टता की निगरानी की जा सकती है, इसका उपयोग यात्री रेलगाड़ियों तथा मालगाड़ियों दोनों के लिए किया जा सकता है।
- इस सॉफ्टवेयर की सहायता से रेल मंत्री पीयूष गोयल अब रेल भवन स्थित अपने कार्यालय में बैठे-बैठे ट्रेनों की आवाजाही, राष्ट्रीय परिवहन की आय और अन्य गतिविधियों सहित पूरे रेल नेटवर्क पर नजर रख सकेंगे।

क्या है?

- इस सॉफ्टवेयर की मदद से मंत्री मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों से होने वाली कमाई, मालगाड़ियों में सामान की लदाई और उसे उतारने, ट्रेनों के समय पर पहुंचने, बड़ी परियोजनाओं, शिकायतों, ट्रेनों का लाइव स्टेटस, स्टेशनों की जानकारी और अन्य तमाम चीजें देख सकेंगे।
- इस तरह के तमाम एप को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके ई-दृष्टी का नाम दे दिया गया है।
- रेलवे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब रेल मंत्री और रेलवे के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को रेलवे से जुड़ी सभी ताजा जानकरियां उनके कम्प्यूटर या मोबाइल पर हर वक्त मौजूद रहेंगी।
- इसे भारतीय रेल कैटरिंग व पर्यटन कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) के बेस किचन से भी जोड़ा गया है, इसकी सहायता रेल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से सम्बंधित शिकायतों की निगरानी भी की जाती है।

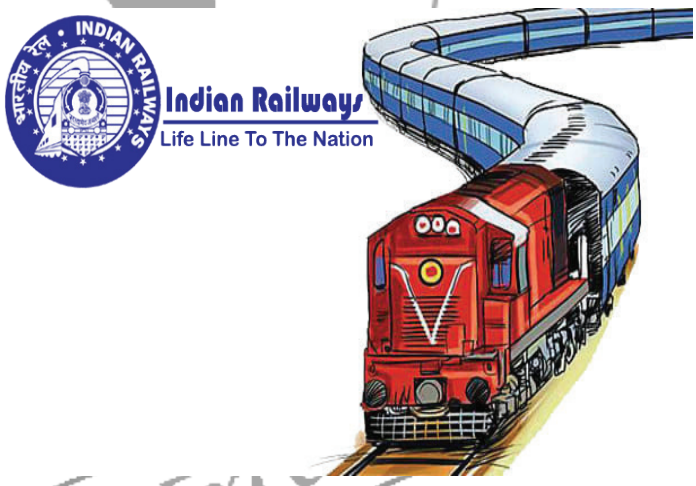

- रेल मंत्री लाइव विडियो के माध्यम से भी आईआरसीटीसी के रसोईघर की निगरानी कर सकते हैं। खाने में गड़बड़ियों के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के कारण रसोई को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है।
- इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन की आरक्षित व अनारक्षित सीटों की जानकारी भी मिलेगी तथा किसी भी समय पर ट्रेन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।

उपयोग

- इसका उपयोग देश में कहीं भी किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर का विकास केन्द्रीय रेलवे सूचना प्रणाली (सीआरआईएस) द्वारा किया गया है।
- यह प्रणाली आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी। रेलवे पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अपने परिसरों ने इसके लिए स्क्रीन लगाने पर विचार कर रही है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में चर्चा में रही वह कौन-सी कम्पनी है, जो पूरे विश्व में मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने हेतु सैटेलाइट लांच करने की योजना बना रही है?
   (a) टेस्ला
   (b) एप्पल
   (c) हुवाई
   (d) लिंकश्योर

2. हाल ही में चर्चा में रहे 'आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली' (ईआरएसएस) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. इस प्रणाली की शुरुआत करने वाला अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है।
   2. इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यक्ति फोन के जरिए पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से सम्पर्क कर सकेंगे।
   3. इस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कोष निर्भया कोष से आवंटित की जाएगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 3
   (c) 2 और 3
   (d) सभी सत्य हैं।

3. हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्याभ्यास 'कोंकण-2018' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह नौसैन्याभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हो रही है।
   2. इस सैन्याभ्यास का उद्देश्य रणकौशल की बारीकियों तथा अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान करना है।
   3. इस युद्धाभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) 1 और 2
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

4. हाल ही में 'ई-दृष्टि सॉफ्टवेयर' लांच किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. इस सॉफ्टवेयर की सहायता से रेलों की समयनिष्ठता की निगरानी की जा सकती है।
   2. इसके तहत यात्री रेलगाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों पर भी नजर रखा जा सकेगा।
   3. इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन की आरक्षित व अनारक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3
   (d) 1, 2 और 3

5. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय पीठ देश में मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखे जाने पर एकमत थे।
   2. सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

GS World
Committed To Excellence